

संख्या: 2-13/2021 ई0एक्स0एन0-एच0-स्थापना-3488-3506  
राज्य कर एवं आबकारी विभाग,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक:

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. अति० / संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (आबकारी जोन) (द० क्षे०)(ज० क्षे०)(म० क्षे०) शिमला/पालमपुर व मण्डी।
2. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (जी०एस०टी० जोन) (उ०द०)(द० क्षे०)(ज० क्षे०)(म० क्षे०) परवाणू/पालमपुर व उना।
3. उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला शिमला/सोलन/बी०बी०एन०बददी/सिरमौर/  
बिलासपुर/हमीरपुर/नूरपुर/कांगड़ा/चम्बा/कुल्लू/मण्डी व उना।
4. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला किनौर, स्थित पियो।

दिनांक:

शिमला-9

18/02/ 2025

विषय:  
महोदय,


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने वारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या: 2-13/2021 ई० एक्स० एन०-एच०-स्थापना-3274-92 का अकारथ (In supersession of) करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 प्रतिशत कोटे के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाती है जिस हेतु विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नवीनतम वरिष्ठता सूची बनाई जानी है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधीन कार्यरत सभी को प्रेषित करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त दसवीं व बाहरवीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उक्त दोनों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सत्यापित कर, विभाग में नियमित तौर पर प्रथम उपस्थिति की तिथि का प्रमाण पत्र तथा उनकी श्रैणी (Category) भी वरिष्ठता सूची के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र (enclosed prescribed format) पर इस कार्यालय को 10 दिनों के भीतर प्रेषित करें ताकि मुख्यालय स्तर पर संयुक्त वरिष्ठता सूची करने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रतिलिपि-संलग्न

  
मवदीय,

निशातं कुमार (हि०प्र०स०)  
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा०/मु०),  
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 2-13/2021 ईएक्स०एन०एच०स्थापना-3507

1 प्रतिलिपि आई०टी० शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस पत्र को शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाए।

  
निशातं कुमार (हि०प्र०स०)  
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा०/मु०),  
हिमाचल प्रदेश।  
दूरभाष-न० -2621635.

## (Seniority list of Class-IV employees)